कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry Of Labour & Employment Govt. of India)

उप-क्षेत्रीय कार्यालय, ओखला
एफ-2/3, ओखला फेस-1, नई दिल्ली-110020
Sub-Reginol Office, Okhla
F-2/3, Okhla Phase-1, New Delhi-110020
Phone No- 011 26814613, Email: dir-okhla@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in / www.esic.in

पत्र सं0: 20-ए 49/12/1/2011 रा.भा. | दिनांक: 06.2024

परिपत्र

विषयः- राजभाषा कार्यान्वयन सुझाव पुरस्कार योजना वर्ष 2024-25 के संबंध में।

मुख्यालय के पत्र संख्या ए-49/16/03/2007-रा.भा., दिनांक 06.06.2024 के अनुक्रम में सूचित किया जाता है कि निगम कार्यालयों में हिंदी प्रयोग के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के लिए एक सुझाव पुरस्कार योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत हर वर्ष (01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक) प्राप्त ऐसे सुझावों पर नकद पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र देने की व्यवस्था है। इस सुझाव पुरस्कार योजना में निम्नलिखित बिंदुओं का अनुपालन करते हुए भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि :-

1. इस योजना में निगम के सभी अधिकारी तथा कर्मचारी (चिकित्सा और गैर-चिकित्सा) भाग ले सकते है।
2. एक सुझाव के लिए गुणवत्ता के आधार पर पुरस्कार राशि अधिकतम ₹3000/- और न्यूनतम ₹600/- दी जाएगी तथा प्रत्येक वर्ष कुल ₹12000/- तक की राशि दी जाएगी।
3. सुझाव देने वाले अपने सुझाव, अपने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से अथवा सीधे ही मुख्यालय की राजभाषा शाखा को भेजेंगे।
4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त सुझावों पर मुख्यालय में गठित मूल्यांकन समिति विचार करेगी तथा उसकी सिफारिशों पर पुरस्कारों का निर्धारण किया जाएगा।
5. उपयोगी/पुरस्कृत सुझावों का पुरस्कार पाने वाले कर्मचारी के नाम का उल्लेख करते हुए उचित प्रचार भी किया जाएगा।

अतः सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि राजभाषा कार्यान्वयन सुझाव पुरस्कार योजना में अवश्य भाग लें एवं व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

यह परिपत्र उप निदेशक (प्रभारी) महोदय के अनुमोदन से जारी।

(चितरंजन कुमार दास)
उप निदेशक(रा.भा.प्रभारी)

प्रतिलिपिः-

1. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ।
2. सभी शाखा कार्यालय के प्रबंधक एवं कर्मचारीवृद को सूचनार्थ।
3. वेबसाइट कंटेंट मैनेजर को उक्त आदेश को कार्यालय के वेब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड।